

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
७ $\frac{3}{22}$	<p>पत्रावली पेश हुई। शर्मा का वाद अदम-लजरी, अदम-पैकी में खारिज किया जा चुका है इसलिए शर्मा पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता। शर्मा पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली में मूल मुद्दा होकर नम्बर ले कर हो तथा वाद तसलील लेख भेजा हो।</p>

